राजस्थान सरकार आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपूर Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांकः— एफ 7(4)प्रवेश नीति / अकाद / आकाशि / 2024 / 03395

प्राचार्य सम्बन्धित महाविद्यालय, राजस्थान (संलग्न सूची अनुसार)।

> विषयः– क्रमोन्नत राजकीय महाविद्यालयों में नवीन पाठयक्रम स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध / सेमेस्टर–प्रथम) में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करने के संबंध में।

सन्दर्भः– आयोजना शाखा का आदेश क्रमांक एफ6(7)आयो/आकाशि/बजट घोषणा/ 2024–17399 राजकाज न. 10581510 दिनाक 23.09.2024

महोदय,

परिवर्तित बजट घोषणा 2024–25 की अनुपालना में आयोजना शाखा का आदेश क्रमांक एफ6(7)आयो/आकाशि/बजट घोषणा/2024—17399 राजकाज नं 10581510 दिनांक 23.09. 2024 द्वारा क्रमोन्नत राजकीय महाविद्यालयों में (संलग्न सूची) स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन पाठयक्रम (PG) प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस सन्दर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि क्रमोन्नत राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध / सेमेस्टर–प्रथम) में नवीन पाठयक्रम एकीकृत प्रवेश आवेदन प्रपत्र (Common Admission Form) के माध्यम से दिनांक 15.10.2024 तक ऑफलाईन प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करते हुए दिनांक 16.10.2024 से नियमित कक्षाऐं संचालित करना सुनिश्चित करें।

ऑफलाईन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने पर प्रवेशित विद्यार्थियों के डाटा को ऑनलाईन एडमिशन पोर्टल पर इन्द्राज करवाया जाना सुनिश्चित करें।

प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी https://dceapp.rajasthan.gov.in/ साईट से एकीकृत प्रवेश आवेदन प्रपत्र (Common Admission Form) डाउनलोड कर पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र महाविद्यालय में जमा करवाये ।

प्रवेश हेतु पात्रता संबद्धक विश्वविद्यालय के अनुसार तथा अन्य प्रावधान प्रवेश नीति 2024–25 के नियमानुसार यथावत रहेगे। प्राचार्य संबद्धक विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त प्रवेश कार्यक्रम हेतु प्राचार्य अपने स्तर पर विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(प्रो0 विजय सिंह जाट) संयुक्त निदेशक, अकादमिक

प्रतिलिपिः–

- 1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर।
- 2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एव तकनीकी शिक्षा, विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर।
- 4 रजिस्ट्रार, सबद्धक विश्वविद्यालय, राजस्थान।
- 5. समस्त संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान।
- 6. नोडल अधिकारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ऑनलाईन प्रवेश की आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। 7. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के अध्यान करिष्ट्रा कि करिष्ट्रा करे के अध्य



Digitally signed by Vija Singh Jat Design काला राखानी Dremor Dateस युभिय मुक्स 24 17 वयमिक IST Reason: Appro

राजस्थान सरकार उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

ई—मेल : higheredu3@rajasthan.gov.in, दूरमाष : 0141—5153222, 5153223, 5153660 (आई.पी. नं. : 24870)

क्रमांक प. ६(२९)शिक्षा / ग्रुप-3 / २०२४--०४२५५

जयपुर, दिनांकः–हस्ताक्षर दिनांक

<u>—ः आदेशः —</u>

परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2024–25 दिनांक 10.07.2024 के बिन्दु संख्या–59.4 की अनुपालना में निम्नांकित 10 महाविद्यालयों को रनातक (UG) से रनातकोत्तर (PG) स्तर में क्रमोन्नत करते हुए, उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार नवीन विषय खोले जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:–

क्रं.स.	महाविद्यालय का नाम	स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	बजट मद
1	राजकीय महाविद्यालय,	इतिहास	सहायक आचार्य	02	बजट मद—
	आहोर		(इतिहास)		2202— सामान्य शिक्षा 03—विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा
2	राजकीय महाविद्यालय, डेगाना	भूगोल	सहायक आचार्य(भूगोल)	02	103—राजकीय महाविद्यालय तथा
	डगाना		प्रयोगशाला सहायक	01	ाण्ड-राजकाय नहात्पंचालय राया संस्थान
		हिन्दी साहित्य	प्रयोगशाला वाहक	01	02–राजकीय महाविद्यालय (पुरूषों के
3	राजकीय महाविद्यालय, कोटड़ा		सहायक आचार्य (हिन्दी साहित्य)	02	लिए) राज्य निधि
4	राजकीय महाविद्यालय, सिकराय	इतिहास	सहायक आचार्य (इतिहास)	02	
5	राजकीय कन्या	राजनीति	सहायक आचार्य	02	बजट मद-
	महाविद्यालय, सूरसागर	विज्ञान	(राजनीति विज्ञान)		2202— सामान्य शिक्षा
	(राजसेस)				03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा
					103-राजकीय महाविद्यालय तथा
					संस्थान 03– राजकीय महाविद्यालय
					(स्त्रियों के लिए) राज्य निधि
6	राजकीय महाविद्यालय, दूदू	हिन्दी	सहायक आचार्य (हिन्दी	06	बजट मद-
		साहित्य,	साहित्य—2,		2202- सामान्य शिक्षा
		रसायनशास्त्र,	रसायनशास्त्र—2,		03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा
		राजनीति विज्ञान	राजनीति विज्ञान–2)		02–राजकीय महाविद्यालय (पुरूषों के
			प्रयोगशाला सहायक	01	
			प्रयोगशाला वाहक	01	
7	राजकीय महाविद्यालय,	राजनीति	सहायक आचार्य	02	लिए) राज्य निधि
	लूणकरणसर	विज्ञान	(राजनीति विज्ञान)		
8	श्री हीरालाल देवपुरा	राजनीति	सहायक आचार्य	02	
	राजकीय महाविद्यालय,	विज्ञान	(राजनीति विज्ञान)		
	आमेट शहीद हेमराज मीणा	राजनीति	सहायक आचार्य		
9	शहाद हमराज माणा राजकीय महाविद्यालय,	राजनाति विज्ञान		02	
	राजकाय महाविद्यालय, सांगोद	।এহা।न	(राजनीति विज्ञान)	Sic	naturo valid
10	राजकीय महाविद्यालय,	भूगोल	सहायक आचार्य(भूगोल)		nature yalid
10	चौहटन		प्रधावयः आवाय(गूनाल) प्रयोगशाला सहायक	Dimenita	lly signed by Harkabh Kuma
			प्रयोगशाला वाह्य	Advity	
			प्रयागराला पाठ्य वाल संगर	Desic	nation Deputy Secretary
				Date:	nation Deputy Secretary 2024.09.23 4:24:45 IST
				Reas	on: Approved

- उपर्युक्तानुसार महाविद्यालयों में नवीन विषय प्रारम्भ करने हेतु 24 सहायक आचार्य, 03 प्रयोगशाला सहायक व 03 प्रयोगशाला वाहक सहित कुल 30 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त पद वित्त विभाग की आई.डी. सं. 102101918 दिनांक 21.05.2021 में प्रदान किये गये परामर्श अनुसार गठित राजसेस सोसाइटी के अधीन रहेंगें।
- सोसाइटी के तहत कार्मिकों की उपलब्धता होने तक नवीन महाविद्यालयों में विद्या संबल मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फेकल्टी के रूप में/विद्यमान नियमित कार्मिकों को आवश्यकतानुसार लगाया जा सकेगा।
- 3. अतिरिक्त बजट प्रावधान के प्रस्ताव (प्रयोगशाला कक्ष के अतिरिक्त) के संबंध में आयुक्तालय वित्तीय वर्ष 2024–25 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं आवश्यकतानुसार वाछित प्रस्ताव यथा समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करावें।
- 4. नवीन प्रयोगशाला कक्ष के निर्माण के प्रस्ताव के संबंध में आयुक्तालय राजकीय महाविद्यालय में विद्यमान भवन/कक्ष को दृष्टिगत रखकर प्रस्ताव का पुनः परीक्षण करते हुए मय तकमीना औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय—1) विभाग की आई.डी. संख्या 152401927 दिनांक 18.09.2024 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हरिताभ कुमार आदित्य) शासन उप सचिव प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

- 1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
- 2. प्रमुख सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 3. विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग।
- 4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
- 5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय—1) विभाग।
- 6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
- 7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
- संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रूप–4) विभाग।
- 9. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर l
- 11. लेखाँधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 12. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 13. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 14. रक्षित पत्रावली।



2

राजस्थान सरकार



आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan Website: http//hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: <u>idplan.cce@gmail.com</u> Phone : 0141-2706847 (o)

क्रमांक: एफ ६(७) आयो/आकाशि/बजट घोषणा/2024-17399

विषय:- परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 में की गयी घोषणा दिनांक 16 जुलाई 2024 के बिन्दु संख्या 59.04 की अनुपालना में 10 राजकीय महाविद्यालयों को स्नातक से स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किये जाने की प्रशासनिक एवं वित् तीय स्वीकृति।

संदर्भः- शासन उप सचिव-प्रथम का पत्रांक प.6(29)शिक्षा/ग्रुप-3/2024-04255 दिनांक 23.09.2024

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थः

- 1 संयुक्त सचिव, कार्यालय, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 2. विशिष्ठ सहायक, कार्यालय, माननीय उपमुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 3. निजी सचिव, कार्यालय, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 5. सयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (गुप-3) विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 7. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेत्:-

- 1 कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार राजकीय महाविद्यालयों में क्रमोन्नत किये गये विषय को सम्बद्ता प्रदान करने का श्रम करें।
- 2 संयुक्त निदेशक, राजसेस कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार राजकीय महावियालयों में क्रमोन्नत किये गये विषय में आगामी सभी आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 3 संयुक्त निदेशक, अकादमिक कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है स्वीकृतिनुसार राजकीय महाविद्यालयों में क्रमोन्नत किये गये विषय में प्रवेश संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्वित करें।
- 4 संयुक्त निदेशक, एचआरडी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार राजकीय महाविद्यालयों में क्रमोन्नत किये गये विषय में संकाय सदस्य/गेस्ट फैकल्टी लगवाये जाने की कार्यवाही करें।
- 5 संयुक्त निदेशक, प्रशासन आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार राजकीय महाविद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में सीएमआईएस पर अद्यतन व अन्य आवश्यक कार्यवाही करें।
- 6 प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार क्रमोन्नत किये गये विषय की संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता, प्रवेश व अन्य आवश्यक कार्यवाही करे।
- 7 वेबसाईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
- ८ रक्षित पत्रावली।

(डॉ. विजेन्द्र कुमार शर्मा) संयुक्त निदेशक (आयोजना) कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

Signature valid



Digitally signed by Vijerdra Kumar Sharma Designation Joint Pirector Date: 2024.09.23 77:59:52 IST Reason: Approved



This document was created with the Win2PDF "Print to PDF" printer available at

https://www.win2pdf.com

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only. Visit <u>https://www.win2pdf.com/trial/</u> for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

https://www.win2pdf.com/purchase/